P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW,MATHURA

Paper 6th, Paper Name- भारतीय दंड संहिता Unit -3rd

(Indian Penal Code)

Law of Crime

प्र०-(1) सदोष अवरोध एवं सदोष परिरोध को परिभाषित कीजिये ! इनके आवश्यक तत्व क्या हैं ? इसमें क्या अंतर है ?

सदोष अवरोध तथा सदोष परिरोध के विषय में

(OF WRONGFUL RESTRAINT AND WRONGFUL CONFINEMENT)

सदोष अवरोध-जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छया ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में, जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, जाने से लिसारित कर दे. वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है,

उदाहरण- क एक मार्ग में, जिससे होकर जाने का ब का अधिकार है, सद्भावपूर्वक यह विश्वास न रखने जाए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है। य जाने से तद्वारा रोक दिया जाता है। क य का सदोष अवरोध करता है।

तत्व - इस धारा के निम्नलिखित प्रमुख तत्व हैं-

(1) किसी व्यक्ति को स्वेच्छया बाधा डालना,

(2) बाधा ऐसी हो जो उस व्यक्ति को उस दिशा में, जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, जाने से निवारित कर दे।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

बाधा (Obstruction)- इस धारा के अन्तर्गत बाधा का अर्थ है शारीरिक बाधा शारीरिक बल प्रयोग के अतिरिक्त धमकी या भय द्वारा भी उत्पन्न की जा सकती है। यदि बाया सदोष है तो यह सदोष अवरोध होगा। सदोष अवरोध के लिये यह आवश्यक है कि एक व्यक्ति दूसरे को स्वेच्छया बाधा डाले। सदोष अबरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को उस स्थान से दूर रखना जहाँ वह रहना चाहता है और जहां उसे रहने का अधिकार है।

सामीनन्दा पिल्लाई के बाद में परिवादक्ता एक भूरमणकर्ता था। उस पर सन्देह कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे एक सिपाही के कब्जे से दूसरे सिपाही के म तब तक रखे रहा जब तक कि वह गन्तव्य पर नहीं पहुंच गया। जब उस व्यक्ति को शिनाख्त हो गयी तब उसे मुक्त कर दिया गया। यह अभिनिधारण प्रदान किया गया कि चूंकि उसे पुलिस संरक्षण में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया था अतः उसको गतिविधियों पर जानबूझ कर बाचा उपस्थित को गयी ची। यह प्रक्रिया सदोष अवरोध है।

कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें अभियुक्त ने संचलन को असम्भव, कठिन या घातक प्रतीत होने दिया-

(क) क अपनी खतरनाक भैंस को उचित नियन्त्रण में रखने से लोप करता है और ज को स्वेच्छया उम् सड़क पर से गुजरने से भयभीत करता है जिस सड़क पर से होकर उसे गुजरने का अधिकार है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

(ख) अ, ज को धमकी देता है कि उस सड़क पर से जिस पर से गुजरने का ज को अधिकार है यदि यह गुजरेगा तो वह अपना जंगली कुत्ता उस पर छोड़ देगा।

व्यक्ति (Person):-इस धारा को लागू होने के लिये यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अवरोधित हुई हो । **महेन्द्र नाथ चक्रवर्ती** बनाम **इम्परर 1992** बोम्बे के वाद में उठाया गया था। न्यायालय का कथन था कि इस धारा का विस्तार केवल उन मामलों तक ही सीमित नहीं है जिनमें सम्बन्धित व्यक्ति अपने पैरों के सहारे चल सकता हो या अपनी शक्ति के अन्तर्गत भौतिक साधनों के सहारे चल सकता हो । मात्र भौतिक साधनों के सहारे चलने वाले व्यक्तियों को भी इस धारा के अन्तर्गत अवरोधित किया जा सकता है।

उदाहरण- सदोष अवरोध के कुछ उदहारण निम्नलिखित हैं -

(1) अ ने ब से उसका मकान किराये पर लिया। अ मकान में ताला बन्द कर बाहर चला गया। अ की अनुपस्थिति में व उस मकान में अपना ताला बन्द कर देता है।

(2) अ, अपने मकान को छत पर था। ब सीढ़ी हटा लेता है जिससे अछत पर ही रहने को बाध्य हो जाता है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

सदोष परिरोध-जो कोई किसी व्यक्ति काम प्रकार सदोष परिरोध कारित काता है।।। व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से भरे जाने में निष्पारित कर दे, वह उस व्यक्ति का "सदोष परिरोध" करता है, यह कहा जाता है।

तत्व-इस धारा के निलिखित तत्व हैं-

(1) किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध;

(2) यह अवरोध ऐसा हो, जो उस व्यक्ति को किसी निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कार दें।

जाने से निवारित करना (To prevent from proceeding)—सदोष परिरोध सदोष अबरोध का एक प्रकार की जिसमें किसी व्यक्ति को एक निश्चिा परिसीमा के भीतर रोक लिया जाता है जिसके बाहर या जाना चाहता है और बाहर जाने का जिम अधिकार है।

सदोष परिरोप के लिये वास्तविक भौतिक बाधा का प्रमाण होना आवश्यक नहीं है । इसके लिये सिद्ध होना चाहिये कि परिरोधित व्यक्ति के मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाला गया था । जिसमे उसने ऐसा विश्वास किया कि वह अपना स्थान छोड़ने के लिये स्वतंत्र नहीं है और यदि वा अपना स्थान छोड़ने का प्रयत्न करेगा तो उसे तुरन्त अवरुद्ध कर दिया जायेगा। किन्तु स्थान त्यागने के कारण भविष्य में किसी उपहति की धमकी इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त नहीं होगी।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

निश्चित परिसीमा (Circumscribing limit)-सदोष परिरोध का अर्थ है, इच्छा शक्ति या किसी बाह्य शक्ति द्वारा परिभाषित किसी परिसीमा के अन्तर्गत अवरोधित करने का विचार । किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट स्थान में अवरुद्ध करना या उसे किसी विशिष्ट दिशा में जाने के लिये बाह्य इच्छा द्वारा प्रेरित करना।

उदाहरण

(1) ब, एक जेल डाक्टर, किसी अपराधी को जो जेल में अपने कारावास की अवधि व्यतीत कर रहा भा, जेल के एक कमरे में बन्द कर दिया ताकि अपराधी की इच्छा के विरुद्ध वह उसे एनिमा लगा सके।

(2) ब. एक कस्बे में रह रहा था जहां चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध थी। ब ने अपने भाई स को भारी सैकड़ो (heavy chains) में बांध रखा था, क्योंकि उसे कभी-कभी मिर्गी के दौरे पड़ते थे। किन्तु निरीक्षण के पश्चात् जिला जज ने उसे स्वस्थ पाया और उन्होंने उसे न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया।

सदोष अवरोध तथा सदोष परिरोध में अन्तर

PgsNational College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

(1) सदोष अवरोध किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का आंशिक अवरोध है जबकि सदोष परिरोध में स्वतन्त्रता पूर्णतया प्रतिबन्धित हो जाती है।

(2) सदोष परिरोध, में सदोष अवरोध निहित है. किन्तु सदोष अवरोध में सदोष परिरोध निहित नहीं. है। सदोष परिरोध, सदोष अवरोध का एक प्रकार है।

(3) सदोष परिरोध में एक निश्चित परिसीमा सदैव आवश्यक होती है जबकि सदोष अवरोध के अन्तर्गत ऐसी किसी सीमा की आवश्यकता नहीं होती।

(4) सदोष परिरोध में सभी दिशा में जाना अवबाधित रहता है और परिरुद्ध व्यक्ति को या तो जाने को इजाजत नहीं रहती है या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे बाध्य किया जाता है। सदोष अवरोध में किसी व्यक्ति को केवल एक या कुछ दिशाओं में ही जाने से उपबंधित किया जाता है, इनके अतिरिक्त अन्य दिशाओं में जाने के लिये वह स्वतन्त्र रहता है।

सदोष अवरोध के लिए दंड- जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करेगा, वह सदा कारावास से , जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

जुर्माने से , जो पांच सो रूपये तक का हो सकेगा , या दोनों से , दण्डित किया जायेगा ।

सदोष परिरोध के लिए दंड- जो कोई किसी ब्यक्ति का सदोष करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा , या दोनों से , दण्डित किया जायेगा ।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

प्र०-2 निम्नलिखित में से किन्ही दो में अंतर कीजिये !

(1) व्यवहरण एवं अपहरण

(2) साधारण चोट तथा गंभीर चोट

(3) आप्रधिक बल एवं आक्रमण

359. व्यपहरण-व्यपहरण दो किस्म का होता है, भारत में से व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण।

व्यपहरण का शाब्दिक अर्थ है "बाल-चौर्य" । व्यपहरण दो प्रकार का होता है- (1) भारत में से व्यपहरण, और (2) विधिपूर्ण संरक्षकता में अपहरण। कुछ मामलों में इन दोनों प्रकारों में अन्तर स्थापित करना दूर होता है।

उदाहरण के लिये, किसी अवयस्क शिशु का भारत में से किया गया व्यपहरण विधिपूर्ण संरक्षकता में से भी किया गया व्यपहरण है।

360. भारत में में व्यपहरण- जो कोई किसी व्यक्ति का, उस व्यक्ति को पा उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना, भारत की सीमाओं में परे प्रवहण कर देता है, वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यपहरण करता है. यह कहा जाता है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

इस धारा के अन्तर्गत वर्णित अपराध का शिकार पुरुष या स्त्री, वयस्क या अवयस्क कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसके निम्नलिखित अवयव है

(1) किसी व्यक्ति का भारत की सीमाओं से प्रवहण करना,

(2) ऐसा प्रवहण प्रवहणित व्यक्ति की सम्मति के बिना हो।

यदि कोई व्यक्ति वयस्कता की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा प्रवहणन हेतु अपनी सम्मति दे चूका है तो इस धारा में वर्णित अपराध कारित हुआ नहीं माना जायेगा। व्यपहरण के अपराध के प्रयोजन हेतु सम्मति देने की उम्र 16 वर्ष लड़कों के लिये तथा 18 वर्ष लड़कियों के लिये है।

361. विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण-जो कोई किसी अप्राप्तवय को, यदि वह नर हो, तो सोलह वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह मारी हो तो, अट्ठारह वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृतचित व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्तवय या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक को संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।

अवयव-इस धारा के निम्नलिखित प्रमुख अवयव हैं-

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

(1) किसी अवयस्क गा विकृतचित्त व्यक्ति को ले जाना अथवा बहका ले जाना,

(2) ऐसा अवयस्क व्यक्ति, यदि वह पुरुष है, जो 16 वर्ष से कम, और यदि नारी है, तो 18 वर्ष से कम उम्र की हो,

(3) ले जाने अथवा बहका ले जाने का कार्य ऐसे अवयस्क या विकृत चित्त व्यत्ति फे विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से किया गया हो.

(4) ले जाना अपवा बहका ले जाना संरक्षक की सहमति के बिना हुआ है।

ले जाना अथवा बहका ले जाना-" ले जाने" का अर्थ है, जाने के लिये प्रेरित करना आधिपत्य ग्रहण करना या संरक्षण प्रदान करना। इस धारा के अन्तर्गत अपराध संरचित करने हेतु अभियोजन द्वारा यह प्रतिसिद्ध किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त ने लड़की द्वारा अपने विधिपूर्ण संरक्षक को संरक्षकता त्यागने तथा उसके यहाँ शरण लेने में कोई भूमिका अदा की थी। ले जाने के लिये वास्तविक या परिलक्षित किसी भी प्रकार के बल की आवश्यकता नहीं होती और यह महत्वपूर्ण नहीं है कि लड़की अपनी सम्मति

P.G.S National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

देती है अथवा नहीं विधिपूर्ण संरक्षकता से परे बच्चे का ले जाना इस अपराध के गठन हेतु आवश्यक है ।

बहकाना-"बहकाने" का अर्थ है कि किसी अवयस्क को स्वेच्छया व्यपहरक के साथ जाने के लिये उत्प्रेरित करना। इसमें उत्प्रेरण द्वारा दूसरे व्यक्ति में आशा या इच्छा जाग्रत करना निहित है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को तब तक बहकाता नहों कहा जाता जब तक कि दूसरा व्यक्ति कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिसे वह अन्यथा नहीं कर सकेगा। "महकाने " का अर्थ है यद्यपि, यह सम्भव था कि व्यपात व्यक्ति विधिपूण संरक्षकता स्वेच्छया छोड़ दिया होता, फिर भी उसकी मानसिक अवस्या अभियुक्त द्वारा उत्पेरित होनी आवश्यक थी।

टी० डी० वाडगम्मा बनाम स्टेट आफ गुजरात ए.आई.आर 1973 सु को के मामले में अभियुक्त पर 15 वर्ष उम्र की मोहिनी नामक अवयस्क लड़की को उसके पिता के विधिपूर्ण संरक्षण से भारतीग दण्ड संहिता की धारा 361 के अन्तर्गत व्यपहरण का आरोप था। यह सिद्ध कर दिया गया था कि व्यपहरण के पहले किसी समय अभियुक्त ने मोहिनो को अपने पिता का संरक्षण छोड़ने हेतु यह कहकर लुभाया अथवा उकसाया (induce) था कि वह उसे शरण प्रदान करेगा। अभियुक्त को व्यपहरण के अपराध हेतु दोषी ठहराते हुये उच्चतम न्यायालय ने बहु प्रेक्षित किया कि मात्र यह परिस्थिति कि अभियुक्त का कार्य उस लड़की द्वारा अपने पिता का घर अथवा अभिभावक का संरक्षण त्यागने का तात्कालिक कारण नहीं था। उसके लिये विधिक बचाव का

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

उपयुक्त आधार नहीं कहा जा सकता है और उस आधार पर व्यपहरण के अपराध से दोषमुक्ति नहीं मिलेगी। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहकाने, फुसलाने और ले जाने शब्दों की विस्तृत व्याख्या निम्नवत किया था-

किसी बालिका का उसके संरक्षक की सम्मति के बिना विवाह-प्राण **कृष्ण शर्मा** के बाद में एक हिन्दु महिला अपने हिन्दू पति का घर छोड़कर अपनी नन्हीं बच्ची के साथ ब के घर चली गई और उसी दिन उसकी पुत्री का विवाह ब के भाई स के साथ कर दिया गया किन्तु इसके लिये लड़को के पित को सम्मति नहीं प्राप्त की गई थी। च को दण्ड संहिता की धारा 109 तथा 363 के अन्तर्गत दोषसिद्धि प्रदान की गई, क्योंकि उसने व्यपहरण के अपराध का दुष्प्रेरण किया था। एक प्रकरण में एक बालिका ग की सगाई अ नामक व्यक्ति के साथ उसके पिता ने कर दी थी। किन्तु बाद में उसके पिता ने अपना विचार बदल दिया और अ से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया। किन्तु, अ ग को उसके पिता की सम्मति के बिना हटा ले गया। अ की इस भाग में वर्णित अपना के लिये दोषसिद्धि प्रदान की गई।

362. अपहरण-जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता। या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहा जाता है ।

अवयव-इस धारा के निमलिखित अवयव हैं-

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

(1) बलपूर्वक बाध्यता अथवा प्रबंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरण;

(2) ऐसी बाध्यता या उत्पेरण का उद्देश्य किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने का हो।

किसी व्यक्ति का किसी स्थान से जाना- जब बल, कपट या प्रवंचनापूर्ण उपाय का प्रयोग कर किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिये बाध्य किया जाता है या उत्प्रेरित किया जाता है तो यह अपराध संरचित हुआ माना जाता है। अतः यदि किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक ले जाया जाता है तो यह कार्य अपहरण के तुल्य होगा भले ही उसे उसके पति के पास पहुँचाने के उद्देश्य से ले जाया गया रहा हो।

दुस्प्रेरण- यदि कोई स्त्री अपने ही अपहरण के लिए सम्मति देती है कर उसकी स्वतंत्र सम्मति है , ऐसी स्थिति में अपराध सरंचित नहीं होगा और वह स्त्री अपने अपहरण के दुस्प्रेरण हेतु दंडनीय नहीं होगा।

(1) व्यपहरण' का अपराध 16 वर्ष से कम आयु के बालक तथा 18 वर्ष से कम आयु की बालिका अथवा किसी विकृत चित्त व्यक्ति के सम्बन्ध में किया जाता है। अपहरण का अपराध किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ किया जाता है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

(2) व्यपहरण के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से हटाया जाता है। अत: बिना संरक्षक के बालक को "ले जाना" या "बहकाना" व्यपहरण का अपराध संरचित नहीं करता। अपहरण" पद्धत व्यक्ति से संदर्भित होता है। अपहत व्यक्ति का किसी व्यक्ति को संरक्षकता में होना आवश्यक नहीं है।

363. व्यपहरण के लिए दण्ड-जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी. दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

350. आपराधिक बल- जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए या उस व्यक्ति को, जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है, क्षति, भय या क्षोभ, ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से या ऐसे बल के प्रयोग से सम्भाव्यत: कारित करेगा, यह जानते हुए साशय करता है, वह उसे अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है।

दृष्टान्त

(क) य नदी के किनारे रस्सी से बंधी हुई नाव पर बैठा है। क रस्सियों को उद्घन्धित करता है और इसी प्रकार नाव को धारा में साशय बहा देता है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

यहाँ के, य को साशय गतिमान करता है, और वह ऐसा उन पदार्थों को ऐसी रीति से व्ययनित करके करता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई अन्य कार्य किए बिना ही गति उत्पन्न हो जाती है। अतएव, क ने य पर बल का प्रयोग साशय किया है, और यदि उसने य को सम्मति के बिना यह कार्य कोई अपराध करने के लिए यह आशय रखते हुए या यह सम्भाव्य जानते हुए किया है कि ऐसे बल के प्रयोग से वह य को क्षति, भय या शोभ कारित करे, तो क ने य पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है।

(ख). य एक रथ में सवार होकर चल रहा है, क, य के घोड़ों को चाबुक मारता है, और उसके द्वारा उनको चाल को तेज कर देता है। यहाँ क ने जीव -जन्तुओं को उनकी अपनो गति परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरित करके य का गति परिवर्तन कर दिया है। अतएव, क ने य पर बल का प्रयोग किया है, और यदि के न य की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए या यह सम्भाव्य जानते हुए किया है कि वाह उससे य को क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न करे तो क ने य पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है।

(ग) **य** एक पालकी में सवार होकर चल रहा है। **य** को लूटने का आशय रखते हुए क पालकी का डण्डा पकड़ लेता है,और पालकी को रोक देता है। यहाँ क ने य को गतिहीन किया है, और यह उसने अपनी शारीरिक शक्ति द्वारा किया है। अतएव क ने य पर बल का प्रयोग किया है, और क ने य की सम्मति के बिना यह कार्य अपराध करने के लिए साशय किया है, इसलिए क ने य पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

(घ) क सड़क पर साशय य को धक्का देता है। यहाँ क ने अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा अपने शरीर को इस प्रकार गति दी है कि वह य के संस्पर्श में आए अतएव उसने साशय य पर बल का प्रयोग किया है, और यदि उसने य की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए या यह सम्भाव्य जानते हुए किया है कि वह उससे य को क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न करे, तो उसने य पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है।

(च) क किसी स्त्री का घूँघट साशय हटा देता है। यहाँ , क ने उस पर साशय बल का प्रयोग किया है , और यदि उसने उस स्त्री की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए किया है की उससे उसको क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न हो , तो उसने उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है ।

धारा 349 में परिभाषित 'बल' इस धारा के अन्तर्गत " आपराधिक बल" बन जाता है यह (1) यह कोई अपराध करने के लिये प्रयुक्त किया जाता है बिना उस व्यक्ति की सम्मति लिये जिसके विरुद्ध अपराध किया जाता है ,

(2) यदि किसी पर क्षति , भय या क्षोभ कारित करने के आशय में प्रयुक्त किया जाता है।

अवयव- इस धारा के निम्लिखित अवयव हैं -

(1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध साशय बल प्रयोग,

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

(2) ऐसे बल का प्रयोग उपहत ब्यक्ति की सम्मति के बिना किया गया हो ,

351. हमला-जो कोई, कोई अंगविक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है, या यह सम्भाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंगविक्षेप या ऐसी तयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि जो वैसा अंगविक्षेप या तयारी करता है, वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है , वह हमला करता है , यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण- केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते। किन्तु जो शब्द कोई व्यक्ति प्रयोग करता है , वे उसके अंगविक्षेप या तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे अंगविक्षेप या तैयारियां हमले की कोटि में आ जाएँ।

दुष्टान्त

उदाहरण:-

(क) य पर अपना मुक्का क इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए हिलाता है की उसके द्वारा य को यह विश्वास हो जाये की क , य को मारने वाला ही है। क ने हमला किया है।

(ख) क एक हिंसक कुत्ते की मुख बंधनी इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए खोलना आरम्भ करता है कि उसके द्वारा य को यह विश्वास हो

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

जाए कि वह य पर कुत्ते से आक्रमण कराने वाला है क ने य पर हमला किया है।

अवयव-(1) किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति में कोई अंगविक्षेप (gesture) या तैयारी करना।

(2) इस सम्भाव्यता का आशय अथवा ज्ञान कि वह उपस्थित व्यक्ति उस अंगविक्षेप या तैयारी से यह आशंका कर सकता है कि अंगविक्षेप या तैयारी करने वाला व्यक्ति उसके विरुद्ध " आपराधिक बल" का प्रयोग करने वाला है।

1. **कोई अंग विक्षेप या तैयारी करना**- आपराधिक बल प्रयोग किये जाने की आशंका उस व्यक्ति से होनी चाहिये जो अंगविक्षेप करे या तैयारी करे किन्तु यदि यह आशंका किसी अन्य व्यक्ति से उत्पन्न होती है तो यह हमला की कोटि में नहीं आयेगा। यदि अ अपनी भरी पिस्तौल ब की ओर इंगित करता है तो यह हमला का अपराध होगा यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर प्रहार करने के आशय से धमकी देते हुये उसकी और बढ़ता है जिससे यदि उसे रोका न गया तो उसके मुक्के का प्रहार दूसरे व्यक्ति पर ही गिरेगा तो वह हमला कारित करने का दोषी होगा भले ही जिस समय उसे रोका गया वह इतने नजदीक नहीं था कि उसके द्वारा किया गया प्रहार प्रभावी होता **मुनेश्वर बक्स सिंह** के बाद में अभियुक्त ने अपनी ओर से परिवादकर्ता के विपरीत ऐसा कोई कार्य नहीं किया था जो 'हमला' की परिभाषा के अन्तर्गत आता

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College Of Law

किन्तु उसने अपने अनुयायियों को ऐसा संकेत दिया कि वे धमकाते हुये ढंग से परिवादकर्ता की ओर से आगे बढ़ जायें उसे इस धारा के अन्तर्गत दोषसिद्धि प्रदान नहीं की गई क्योंकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन करने मात्र से हो आपराधिक बल का प्रयोग करता हुआ नहीं कहा जा सकता।

आशय या ज्ञान-इस अपराध का मुख्य तत्व ऐसा आशय या ज्ञान है कि यदि अभियुक्त द्वारा की गई तैयारी या अंग-विक्षेप से दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसके विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग होने ही वाला है।

उदाहरण-धमकी युक्त शब्दों का केवल बकना हमला के तुल्य नहीं है एक प्रकरण में एक व्यक्ति लाठी लेकर चिल्लाया कि यह पुलिस अधिकारी का सिर तोड़ देगा यदि वह उसके अंगूठे का चिन्ह लेने के लिये उसे मजबूर करेगा। वह हमला का दोषी नहीं है । किन्तु यदि कोई व्यक्ति चिल्लाता है कि वह अभी वापस आयेगा और पुलिस अधिकारी को अच्छा सबक सिखायेगा और अपने कथनानुसार लाठी लेकर वापस आता है तथा पुलिस अधिकारी के समीप पहुंच जाता है जिससे युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो जाती है कि वह आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है तो अभियुक्त इस धारा में वर्णित अपराध का दोषी होगा। किसी औरत का उसकी इच्छा के विरुद्ध चिकित्सा

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

परीक्षण हमला का अपराध गठित करता है। जहाँ कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के घर में ईट फेंकता है, वह हमला का दोषी होगा।

हमला तथा आपराधिक बल में अन्तर- -हमला का अपराध आपराधिक बल के प्रयोग में निम्नकोटि का अपराध है। हमला में क्षतिग्रस्त व्यक्ति पर वास्तविक प्रहार नहीं होता। हमला मात्र प्रयत्न है या एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया प्रस्ताव है जिसमें वह क्षमता विद्यमान रहती है कि वह दूसरे व्यक्ति के शरीर को उपहति या हिंसा कारित कर दें। इसके विपरीत आपराधिक बल में हमला पूर्ण होता है क्योंकि इसमें बल का वस्तुतः प्रयोग होता है। दूसरे शब्दों में हमला में बल का वास्तविक प्रयोग नहीं होता जबकि आपराधिक बल में इसका वास्तविक प्रयोग होता है। आपराधिक बल के प्रयोग में हमला सदैव सम्मिलित रहता है किन्तु हमला में बल का प्रयोग किये जाने को केवल आशंका रहती है, बल का वस्तुतः प्रयोग नहीं होता।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

प्र०-3 अपराध मानव वध क्या है ? किन दशाओं में मानव बध का अपराध हत्या का अपराध हो जाता है?

299. आपराधिक मानव-वध-जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना सम्भाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह सम्भाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है।

(क) क एक गड्ढे पर लकड़ियाँ और घास इस आशय से बिछाता है कि तद्द्वारा मृत्यु कारित करे या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि सम्भाव्य हैं कि तद्द्वारा मृत्यु कारित हो। य यह विश्वास करते कि हुए वह भूमि सुदृढ़ है उस पर चलता है, उसमें गिर पड़ता है और मारा जाता है। क ने आपराधिक मानव वध अपराध किया है।

(ख) क यह जानता है कि य एक झाड़ी के पीछे हैं। ख यह नहीं जानता। य की मृत्यु करने के आशय से या यह जानते हुए कि उससे य की मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, ख को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए क उत्प्रेरित करता है। ख गोली चलाता है और य को मार डालता है। यहाँ यह हो सकता है कि ख किसी भी अपराध का दोषी न हो, किन्तु क ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है।

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

स्पष्टीकरण 1 -जहाँ कि शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहाँ जिस व्यक्ति ने, ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो, उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा, यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी।

स्पष्टीकरण 2- माँ के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है। किन्तु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध की कोटि में आ सकेगा, यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने साँस न ली हो या वह पूर्णतः उत्पन्न न हुआ हो।

मानव-वध-एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को जान से मार डालना मानव-वध कहलाता है। मानव वध विधिपूर्ण हो सकता है या विधि-विरुद्ध ।

विधि विरुद्ध मानव-वध के अन्तर्गत निम्नलिखित मामले आते हैं

(1) हत्या (धारा 300)

(2) आपराधिक मानव-वध जो हत्या की कोटि में नहीं आते (धारा 304)

(3) उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना (धारा 304-अ)

(4) आत्महत्या (धारा 305 तथा 306)

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

अवयव-आपराधिक मानव वध के निम्नलिखित प्रमुख अवयव हैं

(1) किसी मानव की मृत्यु कारित करना;

(2) ऐसी मृत्यु किसी कार्य द्वारा कारित की गई हो;

(3) कार्य-

(क) मृत्यु कारित करने के आशय से, या

(ख) ऐसी शारीरिक उपहति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य हो, या

(क) मृत्यु कारित करने का आशय- आशय का तात्पर्य है परिणाम की प्रत्याशा। यदि किसी व्यक्ति पर कोई कार्य करने का आरोप लगाया गया है जिस कार्य का सम्भावित परिणाम घातक रूप से हानिकारक हो सकता है ऐसी स्थिति में आशय विधि का एक निष्कर्ष होगा जिसकी अवधारणा किये गये कार्य से की जाती है । आशय का निष्कर्ष अभियुक्त द्वारा किये गये कार्य तथा मामले की परिस्थितियों से निकाला जाता है। अत: यदि किसी भरी बन्दूक से जानबूझ कर गोली चलायी जाती है तो तुरन्त यह निष्कर्ष निकलेगा कि अभियुक्त का आशय मृत्यु कारित करना था। आशय के अस्तित्व की अभिकल्पना तब तक नहीं की जाती जब तक कि मृत्यु की अभिव्यक्ति कार्य

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

के स्वाभाविक और सम्भावित परिणाम के रूप में नहीं होती। उदाहरण के लिये, यदि मृत्यु एक घूंसे के प्रहार से होती है जिस प्रहार से किसी स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु होनी सम्भाव्य नहीं है और यह कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई वह किसी रोग से पीड़ित था। ऐसी स्थिति में आशय या ज्ञान का निष्कर्ष निकालना युक्तिसंगत न होगा ऐसा इसलिये है क्योंकि ऐसे मामलों में निष्कर्ष स्वाभाविक या सम्भावित निष्कर्ष नहीं होता अतः यह कहा जा सकता है कि इस मामले में अभियुक्त ने इस परिणाम की कभी कल्पना नहीं की थी। ऐसे मामलों में अभियुक्त के वास्तविक आशय या ज्ञान को दर्शाने के लिये कुछ वाह्य साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे यह कि अपराधी रोग के बारे में जानता था तथा घूँसे का प्रहार रोग से प्रभावित अंग पर ही किया गया था।

. **(ग) यह ज्ञान रखते हुये कि यह सम्भाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित करेगा**-"ज्ञान" एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। इसमें परिणाम की निश्चितता अन्तर्विष्ट है न कि केवल सम्भावना। यहाँ ज्ञान का आशय उस व्यक्ति के वैयक्तिक ज्ञान से है जो कार्य करता है। यदि म पर अ, ब और स, लाठियों से प्रहार करते हैं और सभी प्रहार उसके सिर को लक्ष्य बना कर किये जाते हैं तो यह माना जायेगा कि अभियुक्तों को यह ज्ञात था कि वे अपने इस कार्य द्वारा म की मृत्यु कारित कर सकते हैं।

P.G.S National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

घोर-उपेक्षा-घोर उपेक्षा (gross negligence) भी कभी-कभी ज्ञान के तुल्य हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति उपेक्षा पूर्वक कार्य करता है या बिना उपयुक्त सावधानी बरते कार्य करता है तो यह अभिकल्पना की जायेगी कि उसके कृत्यों से उत्पन्न होने वाले परिणामों का ज्ञान था। **कांगला** के वाद में अभियुक्त ने एक व्यक्ति पर गदा से प्रहार किया। प्रहार करते समय उसे ऐसा विश्वास था कि जिस वस्तु पर वह प्रहार कर रहा है वह कोई मानव नहीं बल्कि एक अलौकिक वस्तु है किन्तु प्रहार के पूर्व उसने यह सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं किया कि वह कोई मानव है या नहीं। चूंकि अभियुक्त ने घोर उपेक्षा से बिना यह सुनिश्चित किये कि जिस वस्तु पर प्रहार कर रहा है मानव है या नहीं, कार्य किया था इसलिये वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव-वध का दोषी घोषित किया गया।

एक मामले में 'अ' गृहभेदन द्वारा अन्दर पहुँचता है। उस घर में रहने वालों को उसकी उपस्थिति का ज्ञान हो जाता है। तदुपरान्त गिरफ्तारी से बचने के लिये अ घर वालों पर बर्बरतापूर्वक प्रहार करता है। प्रहार करते समय वह इस पर ध्यान नहीं देता है कि उसके प्रहारों का क्या प्रभाव होगा और इस प्रकार वह 'ब' की मृत्यु कारित करता है। यहाँ यदि यह मान भी लिया जाय कि ' अ' का आशय किसी की मृत्यु करने का नहीं था तथापि वह आपराधिक मानव-वध का दोषी होगा, क्योंकि जब वह बर्बरतापूर्वक प्रहार कर रहा था तो उसे यह

P.G.S National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

ज्ञान तो था ही कि उसका क्या परिणाम होगा उसे यह ज्ञान था कि उसका बर्बरतापूर्वक प्रहार का कार्य ऐसा था जिससे मृत्यु सम्भाव्य थी।

आपराधिक मानव-वध के अपराध के लिये यह आवश्यक है कि मृत्यु अपराधी के कार्यों का सीधा एवं सुस्पष्ट परिणाम हो। अतः यदि मृत्यु किसी अन्य हेतुक का परिणाम था जिसके विषय में अभियुक्त को कोई ज्ञान नहीं था तो उसे आपराधिक मानव-वध के लिये दोषसिद्धि प्रदान नहीं की जा सकती।

एक मामले में अ ने ब पर लाठी से प्रहार किया अपनी प्रतिरक्षा में ब पिस्तौल निकाल लेता है परन्तु इसके पहले कि वह पिस्तौल से गोली दागे अ ने ब के सर पर एक वजनदार पत्थर से चोट पहुँचाकर उसको मृत्यु कारित कर दिया। यहाँ यदि अ आत्मप्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का तर्क देता है तो वह अपन बचाव में सफल नहीं होगा, क्योंकि वह स्वयं आक्रमणकर्ता था। अतएव अ, ब की हत्या कारित करने के अपराध का दोषी होगा। ब ने केवल अपनी पिस्तौल जैसे अ ने उस पर लाठी से हमला किया, आत्म प्रतिरक्षा में निकाला था परन्तु पिस्तौल से गोली न तो चलाया और न अ की ओर निशाना ही बनाया अ ने ब के सर पर जो शरीर की एक नाजुक (vital) अंग है वजनदार पत्थर से मारा। उसके कार्य को आत्म प्रतिरक्षा में किया गया कार्य नहीं कहा जा सकता है अतएव अ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अधीन ब की हत्या कारित करने के अपराध का दोषी होगा।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

अ, ब को मार डालने के आशय से उस पर एक प्राणघातक घाव करता है और भूलवश उसे मृत. समझकर उसके शरीर को एक झील में फेंक देता है जिसके फलस्वरूप ब की मृत्यु पानी में डूबने के कारण हो जाती है। इस मामले में अघोर उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा ब की मृत्यु कारित करने के लिये दोषी है। अने ब पर प्राण घातक घाव कारित किया और उसके पश्चात् ब को मृत समझने की भूल की। ब की मृत्यु पानी में डूबने के कारण हुई। चूंकि घोर उपेक्षापूर्ण कार्य में खतरे का ज्ञान होना माना जाता है अतएव अ हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव-वध हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 299 के अधीन दोषी होगा. क्योंकि उसने घोर उपेक्षा के साथ कार्य कारित किया जिससे ब की मृत्यु हुई।

4. **बिना आशय या ज्ञान के मृत्यु कारित करना-** आपराधिक मानव-वध के अपराध में मृत्यु कारित किये जाने के आशय या ज्ञान की पूर्व अवधारणा की जाती है। ऐसे आशय या ज्ञान के अभाव में कारित किया गया अपराध साधारण या घोर उपहति हो सकता है किन्तु आपराधिक मानव-वध नहीं हो सकता। उन मामलों में जिसमें मृत्यु किसी उपहति का परिणाम है, जिसके विषय में अभियुक्त यह नहीं जानता था कि उससे मानव जीवन को खतरा हो सकता था या मृत्यु होनी सम्भाव्य थी तथा जिसमें सामान्य अवस्थाओं में ऐसा नहीं होता तो भले ही मृत्यु कारित हो गयी हो, अपराध आपराधिक मानव-वध न होकर साधारण या घोर उपहति होगा ऐसे प्रत्येक मामले उन असामान्य परिस्थितियों की उपस्थिति, जिनके विषय में अपराधी अनभिज्ञ था.

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College Of Law

पर निर्भर करते हैं 23 यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छया ऐसी उपहति कारित करता है जिससे जीवन को खतरा उत्पन्न होना सम्भाव्य है तो अत्यधिक असामान्य तथा अपवादमूलक परिस्थितियों को छोड़कर यह स्वीकार किया जायेगा कि उसे यह ज्ञात था कि वह मृत्यु कारित कर सकता था। यदि क्षतिग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कार्य आपराधिक मानव-वध का अपराध होगा, यदि आशय या ज्ञान के अभाव को सिद्ध नहीं किया जाता।

आपराधिक मानव-वध-मुन्नीलाल के बाद में अभियुक्त द के सीने पर बैठकर उसका गला दबाने लगा और अपने सगे सम्बन्धियों द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के बावजूद भी ऐसा करने से बाज नहीं आया। द की मृत्यु आन्तरिक रक्तस्त्राव के कारण हो गयी। रक्तस्राव प्लीहा के नष्ट होने के कारण हुआ था जो कि बहुत बढ़ गया था। विकसित प्लीहा का जान अभियुक्त को नहीं था। अभियुक्त को धारा 304 के द्वितीय भाग के अन्तर्गत आपराधिक मानव-वध के लिये दण्डित किया गया।

डेविस के वाद अ ने द पर हाथ से प्रहार किया। प्रहार के फलस्वरूप ऐसी उपहति कारित हो गयी जिससे आपरेशन करना जरूरी हो गया था। आपरेशन के पूर्व उस पर क्लोरोफार्म का प्रयोग किया गया किन्तु क्लोरोफार्म का प्रयोग किये जाते समय ही द की मृत्यु हो गई। चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार द की मृत्यु नहीं हुई होती यदि उसे क्लोरोफार्म न सुंघाया गया होता। अ को मानव-वध के लिये दोषसिद्धि प्रदान की गयी, क्योंकि उसने ऐसी उपहति कारित किया था जिसके लिये डाक्टरों के अनुसार आपरेशन अति आवश्यक था।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

300. हत्या-एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा

दूसरा-यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, जिसको वह अपहानि कारित की गई है, अथवा

तीसरा-यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा

चौथा-यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसम्भाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

दृष्टान्त

(क) य को मार डालने के आशय से क उस पर गोली चलाता है, परिणामस्वरूप य मर जाता है। क हत्या करता है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

धारा 300 उन मामलों से सम्बन्धित है जिनमें आपराधिक मानव-वध हत्या होता है। अत: कोई भी अपराध तब तक हत्या की कोटि में नहीं आ सकता जब तक वह आपराधिक मानव-वध की कोटि में नहीं आता। हत्या में आपराधिक मानव-वध भी सम्मिलित है किन्तु आपराधिक मानव वध हत्या हो भी सकता है और नहीं भी आपराधिक मानव-वध का कोई मामला हत्या होगा यदि वह धारा 300 के चार खण्डों में से. किसी भी एक खण्ड के अन्तर्गत आता है ।

हत्या के विचारण में न्याय सुनिश्चित करने के लिये न्यायालय को अपने समक्ष प्रस्तुत किये गये साक्ष्य तक ही सीमित रहना चाहिये। न्यायालय कक्ष के बाहर की गर्मा-गर्मी, चाहे वह समाचार माध्यमों के द्वारा अथवा लोकमत के फड़फड़ाहट के द्वारा पैदा की गयी हो, से इसे अपने को पृथक रखना चाहिये ।

खण्ड 1-वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गयी है मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो-जैसा कि धारा **299** में स्पष्ट किया गया है, कि कार्य के अन्तर्गत अवैध लोप भी आता है। अतः अवैध लोप द्वारा भी मृत्यु कारित की जा सकती है यदि माता-पिता अपने बच्चों को समुचित आहार प्रदान करने में उपेक्षा करते हैं और यदि किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो माता-पिता हत्या कारित करने के दोषी होंगे। **आर० वेंकलू** के वाद में

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

अभियुक्त ने उस झोपड़ी में आग लगा दिया जिसमें द सो रहा था। आग लगाते समय अभियुक्त ने झोपड़ी का दरवाजा बन्द कर उसमें ताला लगा दिया था, जिससे झोपड़ी के बाहर सो रहे द के नौकर उसकी सहायता के लिये न आ सकें उसने इस बात की भी सावधानी बरती थी कि गांव वाले द की मदद के लिये न आ सकें। यहाँ यह स्पष्ट है कि अभियुक्त का आशय द की हत्या करना था। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मर्मस्थल पर छुरा भोंक देता है और यदि इस चोट से प्रत्यक्षत: या परोक्षत: उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह माना जायेगा कि उसका आशय मृत्यु कारित करना था और उपहति कारित करने वाले व्यक्ति को हत्या के लिये दण्डित किया जायेगा।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.